	Bengal		Mahal Sabai Life Cluster			implementation

[Answers to Starred and Unstarred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part-I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://rajyasabha.nic.in/business/floor_official_debate.aspx]

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS*

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the House has taken up the discussion on Motion of Thanks on the President's Address, and we have spent around fifteen hours and more than fifty hon. Members from different political parties have taken part in the discussion. Now, it is the time for conclusion, and the reply is going to be given by the hon. Prime Minister. So, I call upon hon. Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi to reply.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, All India Trinamool Congress is walking out.

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, we are walking out.

MR. CHAIRMAN: He has already said it. He is your leader, follow the leader. Thank you.

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

श्री सभापति : यह हँसने का विषय नहीं है। If they want to walk out, they have the right. Walk out or talk out is the way out, not the wash out or all out. I am happy. Now, hon. Prime Minister will reply to Motion of Thanks on the President's Address.

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : आदरणीय सभापति जी, आज पूरा विश्व अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मानव जाति को ऐसे कठिन दौर से गुज़रना पड़ेगा। ऐसी चुनौतियों के बीच, इस दशक के प्रारम्भ में ही हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने संयुक्त सदन में जो अपना उद्बोधन दिया, वह अपने आप में इस चुनौती भरे विश्व में एक नई आशा जगाने वाला, नयी उमंग पैदा करने वाला और नया आत्मविश्वास पैदा करने वाला रहा। 'आत्मनिर्भर भारत' की राह दिखाने वाला और इस दशक के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने वाला राष्ट्रपति जी का उद्बोधन रहा। आदरणीय सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी का तहेदिल से आभार व्यक्त करने के लिए आज आप सबके बीच खड़ा हूँ।

---

* Further discussion continued on a motion moved on 3rd February, 2021.

राज्य सभा में करीब 13-14 घंटे तक 50 से अधिक माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, बहुमूल्य विचार रखे, अनेक पहलुओं पर विचार रखे और इसलिए इस चर्चा को समृद्ध बनाने के लिए मैं सभी आदरणीय सदस्यों का हृदयपूर्वक आभार भी व्यक्त करता हूँ। अच्छा होता कि राष्ट्रपति जी का भाषण सुनने के लिए भी सब होते, तो लोकतंत्र की गरिमा और बढ़ जाती और हम सबको कभी गिला-शिकवा न रहता कि हमने राष्ट्रपति जी का भाषण सुना नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति जी के भाषण की ताकत इतनी थी कि न सुनने के बावजूद भी बहुत कुछ बोल पाए। यह अपने आप में उस भाषण की ताकत थी, उन विचारों की ताकत थी, उन आदर्शों की ताकत थी कि जिसके कारण न सुनने के बाद भी बात पहुँच गई और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस भाषण का मूल्य अनेक गुणा है।

आदरणीय सभापति जी, जैसा मैंने कहा, अनेक चुनौतियों के बीच राष्ट्रपति जी का इस दशक का प्रथम भाषण हुआ, लेकिन यह भी सही है कि जब हम पूरे विश्व पटल की तरफ देखते हैं, भारत के युवा मन को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज भारत सच्चे अर्थ में अवसरों की एक भूमि है। अनेक अवसर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए जो देश युवा हो, जो देश उत्साह से भरा हुआ हो, जो देश अनेक सपनों को लेकर संकल्प के साथ सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो, वह देश इन अवसरों को कभी जाने नहीं दे सकता। हम सबके लिए यह भी एक अवसर है कि हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, यह अपने आपमें एक प्रेरक अवसर है। हम जहां भी हों, जिस रूप में हों, माँ भारती की संतान के रूप में इस आज़ादी के 75वें पर्व को हमें प्रेरणा के पर्व के रूप में मनाना चाहिए। देश को आने वाले वर्षों के लिए तैयार करने के लिए कुछ न कुछ कर गुज़रने का जज्बा होना चाहिए। वर्ष 2047 में देश जब आज़ादी की शताब्दी मनाए, तब हम देश को कहां तक ले जाएंगे, हमें इन सपनों को बार-बार देखते रहना चाहिए।

महोदय, आज पूरे विश्व की नज़र भारत पर है, भारत से अपेक्षाएं भी हैं और लोगों में एक विश्वास भी है कि अगर भारत यह कर लेगा, तो दुनिया की बहुतेक समस्याओं का समाधान वहीं से हो जाएगा, यह विश्वास आज दुनिया में भारत के लिए बढ़ा है।

आदरणीय सभापति महोदय, जब मैं अवसरों की चर्चा कर रहा हूं, तब महाकवि मैथिलीशरण गुप्त जी की कविता को मैं उद्घोषित करना चाहूंगा। गुप्त जी ने कहा था:-

"अवसर तेरे लिए खड़ा है,
फिर भी तू चुपचाप पड़ा है।
तेरा कर्मक्षेत्र बड़ा है,
पल पल है अनमोल।
अरे भारत! उठ, आँखें खोल॥"

लेकिन मैं सोच रहा था कि इस कालखंड में 21वीं सदी के आरम्भ में अगर उनको लिखना होता तो वे क्या लिखते। मैं कल्पना करता कि वे लिखते:-

"अवसर तेरे लिए खड़ा है,
तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है।
हर बाधा, हर बंदिश को तोड़,
अरे भारत! आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़॥"

आदरणीय सभापति महोदय, कोरोना के दौरान किस प्रकार की वैश्विक परिस्थितियां बनीं, कोई किसी की मदद कर सके, यह असंभव हो गया। एक देश दूसरे देश की मदद न कर सका, एक राज्य दूसरे राज्य की मदद न कर सका, यहां तक कि परिवार का एक सदस्य परिवार के दूसरे सदस्य की मदद न कर सका, वैसा माहौल कोरोना के कारण पैदा हुआ। भारत के लिए तो दुनिया ने बहुत आशंकाएं जतायी थीं, विश्व बहुत चिंतित था कि अगर कोरोना की इस महामारी में भारत अपने आपको नहीं संभाल पाया, तो न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए कितना बड़ा संकट आ जाएगा, ये आशंकाएं सबने जतायी थीं। करोड़ों लोग फंस जाएंगे, लाखों लोग मर जाएंगे। हमारे यहां डराने के लिए भरपूर बातें भी हुई हैं। यह क्यों हुआ, यह मेरा सवाल नहीं है, क्योंकि एक unknown enemy क्या कर सकता है, किसी को अंदाज़ा नहीं था। हर एक ने अपने-अपने तरीके से आकलन किया था, लेकिन भारत ने अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए एक unknown enemy से, जिसकी कोई पूर्व परंपरा नहीं थी कि ऐसी चीज़ को ऐसे डील किया जा सकता है, इसके लिए यह प्रोटोकॉल हो सकता है, कुछ पता नहीं था, एक नए तरीके से, नई सोच के साथ हर किसी को चलना था। हो सकता है कि कुछ विद्वान,सामर्थ्यवान लोगों का कुछ अलग विचार हो सकता है, लेकिन था यह कि एक unknown enemy था। हमें रास्ते भी खोजने थे, रास्ते बनाने भी थे और लोगों को बचाना भी था। उस समय जो भी ईश्वर ने बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य दी, इस देश ने उसको करते हुए, देश को बचाने में भरसक काम किया है। आज दुनिया इस बात का गर्व कर रही है कि वाकई इस भारत ने दुनिया की मानव जाति की रक्षा करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। यह लड़ाई जीतने का यश किसी सरकार को नहीं जाता है और न किसी व्यक्ति को जाता है, लेकिन हिन्दुस्तान को तो जाता है। गर्व करने में क्या जाता है, विश्व के सामने आत्मविश्वास के साथ बोलने में क्या जाता है? इस देश ने यह किया है, देश के गरीब से गरीब व्यक्ति ने इस काम को किया है। आपने उस समय सोशल मीडिया में देखा होगा कि फुटपाथ पर एक छोटी झोंपड़ी लगाकर एक बूढ़ी मां बैठी हुई है। वह भी अपनी झोंपड़ी के बाहर दीया जलाकर भारत के शुभ के लिए कामना कर रही है। हम उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं, उसकी भावनाओं का मखौल उड़ा रहे हैं। जिसने कभी स्कूल का दरवाज़ा नहीं देखा था, उसके मन में भी देश के लिए जो भी भावना थी- यदि दीया जलाकर देश की सेवा कर सकता हूं, तो करूं इस भाव से किया था और उसने देश में एक सामूहिक शक्ति का जागरण किया था, अपनी शक्ति का, सामर्थ्यता का परिचय करवाया था, लेकिन उसका भी मज़ाक उड़ाने में मज़ा आ रहा है। आज विरोध करने के लिए कितने मुद्दे हैं, विरोध करना भी चाहिए, लेकिन ऐसी बातों में न उलझें, जो देश के मनोबल को तोड़ती हैं, जो देश की सामर्थ्य को नीचा आंकती हैं। इससे कभी लाभ नहीं होता है। हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे frontline workers, आप कल्पना कर सकते हैं, जब कहीं किसी तरफ से भी कोरोना आ जाएगा तो ऐसे समय में ड्यूटी करना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, ये कोई छोटी चीजें नहीं हैं, इसका गर्व करना चाहिए। हमें उनका आदर करना चाहिए। इन सबके प्रयासों का परिणाम है कि देश ने आज यह करके दिखाया है। हम यदि भूतकाल की तरफ देखें, यह आलोचना के लिए नहीं है, हमने उन स्थितियों को जीया है। कभी चेचक की बात होती थी, तब कितना भय फैल जाता था, पोलियो कितना डरावना लगता था, उसकी वैक्सीन पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, क्या-क्या तकलीफें उठानी पड़ती थीं - मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे लगाएंगे, ऐसे दिन हमने बिताए हैं। ऐसी स्थिति में अगर उन दिनों को याद करें, तो पता चलेगा कि आज जिन देशों को 3rd world countries

में गिना जाता है, वह देश मानव जाति के कल्याण के लिए वैक्सीन लेकर आया है। इतने कम समय में mission mode में हमारे वैज्ञानिक भी जुटे रहे हैं।

मानव जाति के इतिहास में भारत का योगदान एक गौरवपूर्ण गाथा है, हम इस पर गर्व करें। उसी में से एक नए आत्मविश्वास की प्रेरणा भी जगती है। उस नए आत्मविश्वास की प्रेरणा को जगाने के ऐसे प्रयासों पर आज देश गर्व कर सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान मेरे देश में चल रहा है। विश्व में तेज गति से टीकाकरण आज कहीं हो रहा है, तो हम सब की मां भारती की गोद में हो रहा है। भारत की यह सामर्थ्य कहां नहीं पहुंची है? आज कोरोना ने भारत को दुनिया के साथ रिश्तों में एक नई ताकत दी है। जब शुरुआत में वैक्सीन नहीं थी, तो कौन-सी दवाई काम करेगी - तब सारे विश्व का ध्यान भारत की दवाइयों पर गया, भारत विश्व में फार्मेसी के हब के रूप में उभर कर आया। उस संकट काल में भी 150 देशों में दवाई पहुंचाने का काम इस देश ने किया। मानव जाति की रक्षा के लिए हम पीछे नहीं हटे। इतना ही नहीं, इस समय वैक्सीन के संबंध में भी विश्व बड़े गर्व के साथ कहता है कि हमारे पास भारत की वैक्सीन आ गई है। हम सभी को मालूम है कि दुनिया के बड़े-बड़े अस्पतालों में बड़े-बड़े लोग जब मेजर ऑपरेशन कराने जाते हैं और ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद और प्रक्रिया शुरू होने से पहले उनकी आंखें यह ढूंढ़ती हैं कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर है या नहीं है। जैसे ही उस टीम के अंदर एकाध हिंदुस्तानी डॉक्टर दिखता है, तो उनको विश्वास हो जाता है कि अब ऑपरेशन करा सकते हैं- यह इस देश ने कमाया है, इसका हमें गर्व होना चाहिए और इसलिए इसी गर्व को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस कोरोना काल में जैसे वैश्विक संबंधों में भारत ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, अपना स्थान बनाया है, वैसे ही भारत ने हमारे federal structure को, इस कोरोना के कालखंड में हमारी अंतर्भूत ताकत क्या है, संकट के समय हम कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, एक ही दिशा में सब शक्तियां लगाकर के हम कैसे प्रयास कर सकते हैं, यह सब केन्द्र और राज्यों ने मिलकर करके दिखाया है। मैं राज्यों को भी, क्योंकि इस सदन में राज्यों का अपना flavour होता है और इसलिए इस सदन में तो मैं विशेष रूप से राज्यों का भी अभिनन्दन करता हूं। इस कोरोना काल में cooperative federalism को ताकत देने का काम, इस संकट को अवसर में बदलने का काम हमारे सभी साथियों ने किया है, इसलिए सब अभिनन्दन के अधिकारी हैं। यहां पर लोकतंत्र को लेकर काफी उपदेश दिए गए, उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि जो बातें बताई गई हैं, देश का कोई भी नागरिक इन पर भरोसा करेगा। भारत का लोकतंत्र ऐसा नहीं है, जिसकी खाल हम इस प्रकार से उधेड़ सकते हैं। ऐसी गलती हम न करें। मैं श्रीमान् देरेक जी की बात सुन रहा था, तो उनकी बातों में freedom of speech, intimidation और hounding जैसे बढ़िया-बढ़िया शब्दों का प्रयोग हो रहा था। जब मैं शब्द सुन रहा था, तब ऐसा लग रहा था कि ये बंगाल की बात बता रहे हैं या देश की बता रहे हैं! स्वाभाविक है कि चौबीस घंटे वे वही देखते हैं, वही सुनते हैं, तो शायद गलती से वही बात यहां बता दी होगी। कांग्रेस के हमारे बाजवा साहब भी काफी अच्छा बता रहे थे और इतना लंबा खींचकर के बता रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब थोड़ी देर में ये इमरजेंसी तक पहुंच जाएंगे। मुझे लग रहा था कि थोड़ी देर में, एक कदम बाकी है, वे 1984 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वे वहां नहीं गए। खैर कांग्रेस इस देश को बहुत निराश करती है, आपने भी निराश कर दिया।

माननीय सभापति जी, मैं एक quote इस सदन के सामने रखना चाहता हूं और खासकर लोकतंत्र पर जो लोग शक उठाते हैं, भारत की मूलभूत शक्ति पर जो शक उठाते हैं, उनको तो मैं

विशेष आग्रह से कहूंगा कि इसको समझने का प्रयास करें। "हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में western institution नहीं है। यह एक human institution है। भारत का इतिहास लोकतांत्रिक संस्थानों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। प्राचीन भारत में 81 गणतंत्रों का वर्णन हमें मिलता है। आज देशवासियों को भारत के राष्ट्रवाद पर चौतरफा हो रहे हमले से आगाह करना जरूरी है। भारत का राष्ट्रवाद न तो संकीर्ण है, न स्वार्थी है और न ही आक्रामक है। यह सत्यम्, शिवम्, सुंदरम् के मूल्यों से प्रेरित है।" आदरणीय सभापति जी, यह quotation आज़ाद हिंद फौज की प्रथम सरकार के प्रथम प्रधान मंत्री नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का है और संयोग है कि आज हम उनकी 125वीं जयंती मना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जाने-अनजाने में हमने नेताजी की इस भावना को, नेताजी के इन विचारों को, नेताजी के इन आदर्शों को भुला दिया और उसका परिणाम है कि आज हम ही अपने को कोसने लग गए हैं। मैं तो कभी-कभी हैरान हो जाता हूं। दुनिया हमें जो कोई शब्द पकड़ा देती है, हम भी उसको पकड़कर चल पड़ते हैं - दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी - यह सुनते हुए हमें भी अच्छा लगता था कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन हमने अपनी युवा पीढ़ी को यह नहीं सिखाया कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। यह लोकतंत्र की जननी है। हम सिर्फ बड़ा लोकतंत्र हैं, ऐसा नहीं है। यह देश लोकतंत्र की जननी है, यह बात हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिखानी होगी और हमें गर्व से इस बात को बोलना होगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें यह विरासत दी है। भारत की शासन व्यवस्था डेमाक्रेटिक है, सिर्फ इसी वजह से हम लोकतांत्रिक देश नहीं हैं। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की परंपरा, भारत का मन लोकतांत्रिक है और इसलिए हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक है। यह है, इसलिए यह है, ऐसा नहीं है। मूलतः हम लोकतांत्रिक हैं, इसलिए यह है। देश की यह कसौटी भी हो चुकी है। आपातकाल के उन दिनों को याद कीजिए। न्यायपालिका का हाल क्या था? मीडिया का क्या हाल था? शासन का क्या हाल था? सब कुछ जेलखाने में परिवर्तित हो चुका था, लेकिन इस देश के संस्कार, इस देश का जन-मन, जो लोकतंत्र के रंगों से रंगा हुआ था, उसको कोई हिला नहीं पाया था। मौका मिलते ही उसने लोकतंत्र को प्रस्थापित कर दिया। यह लोगों की ताकत है, यह हमारे संस्कारों की ताकत है, यह लोकतांत्रिक मूल्यों की ताकत है। मुद्दा यह नहीं है कि कौन सरकार - मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं और न ही मुझे ऐसी चीज़ों में समय लगाने के लिए आप लोगों ने यहां बैठाया है। हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना है।

'आत्मनिर्भर भारत' के संबंध में भी चर्चा हुई। हमारे साथी धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत ही अभ्यासपूर्ण और आत्मनिर्भर भारत की हमारी दिशा क्या है, उसका उन्होंने विस्तृत बयान किया है। लेकिन यह बात सही है कि आर्थिक क्षेत्र में भी आज भारत की एक पहुंच बन रही है। कोरोना काल में दुनिया के लोग निवेश के लिए तरस रहे हैं, सारी बातें बाहर आ गई हैं, लेकिन भारत है, जहां पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। सारे तथ्य बता रहे हैं कि अनेक देशों की अर्थ स्थिति डांवाडोल है, जबकि दुनिया भारत में डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान लगा रही है। एक तरफ निराशा का माहौल है जब कि हिन्दुस्तान में एक आशा की किरण नज़र आ रही है, यह दुनिया की तरफ से आवाज़ उठ रही है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है, आज भारत में अन्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत आज दुनिया में दूसरा बड़ा देश है, जहां पर इंटरनेट यूज़र्स हैं, भारत में आज हर महीने 4 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन डिजिटली हो रहा है, यूपीआई के माध्यम से हो रहा है।

याद कीजिए यहां के, इसी सदन के दो साल पहले, तीन साल पहले के भाषण में सुन रहा था कि लोगों के पास मोबाइल कहां हैं, लोग डिजिटली कैसे करेंगे, यह देश की ताकत देखिए - हर महीने चार लाख करोड़ रुपए के लेनदेन के साथ ही भारत मोबाइल फोन के निर्माता के रूप में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। भारत में रिकॉर्ड संख्या में स्टार्ट-अप्स, Unicorns और जिसका विश्व में जय-जयकार होने लगा है, इसी धरती पर हमारी युवा पीढ़ी कर रही है।

रिन्यूअल एनर्जी के क्षेत्र में विश्व के पहले पांच देशों में हमने अपनी जगह बना ली है और आने वाले दिनों में हम ऊपर ही चढ़ते जाने वाले हैं। जल हो, थल हो, नभ हो, अंतरिक्ष हो, भारत हर क्षेत्र में अपनी रक्षा के लिए, अपनी सामर्थ्य के साथ खड़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, भारत की capability को दुनिया ने देखा है।

आदरणीय सभापति जी, जब 2014 में पहली बार मैं इस परिसर में आया था और जब मुझे नेता के रूप में चुना गया था, तो मैंने अपने पहले भाषण में कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। मैं आज दोबारा आने के बाद भी यही बात दोहरा रहा हूं और न हम, न हमारी डायरेक्शन बदली है, न हमने डायल्यूट किया है, न डायवर्ट किया है, उसी मिज़ाज के साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में आगे बढ़ने के लिए हमें गरीबी से मुक्त होना ही होगा। हमें प्रयासों को जोड़ते ही जाना होगा। पहले के प्रयास हुए होंगे, तो उसमें और जोड़ना ही पड़ेगा, हम रुक नहीं सकते, जितना कर लिया बहुत है। हम नहीं रुक सकते, हमें और करना ही होगा।

आज मुझे खुशी है कि जो मूलभूत आवश्यकता है, ease of living के लिए और जिसमें से आत्म-विश्वास पैदा होता है और एक बार गरीब के मन में आत्म-विश्वास भर गया तो गरीब खुद गरीबी को चुनौती देने की ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा, गरीब किसी की मदद का मोहताज नहीं रहेगा, यह मेरा अनुभव है। मुझे खुशी है कि 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं।

11.00 A.M.

41 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोले गए, 2 करोड़ से अधिक गरीबों के घर बने हैं, 8 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज गरीब की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर खड़ा हुआ है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं, जो गरीबों के जीवन में बदलाव ला रही हैं, नया विश्वास पैदा कर रही हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, चुनौतियाँ हैं, अगर चुनौतियाँ न होतीं - ऐसा कहीं कुछ नज़र नहीं आएगा, दुनिया के समृद्ध से समृद्ध देश के सामने भी चुनौतियाँ होती हैं। उसकी चुनौतियाँ अलग प्रकार की होंगी, हमारी चुनौतियाँ अलग प्रकार की हैं, लेकिन तय हमें यह करना है कि हम समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं? बस यह एक पतली-सी रेखा है। अगर हम समस्या का हिस्सा बने, तो राजनीति तो चल जाएगी, लेकिन अगर हम समाधान का माध्यम बनते हैं, तो राष्ट्र नीति को चार चाँद लग जाते हैं, इसलिए हमारा दायित्व है कि हमें वर्तमान पीढ़ी के लिए भी सोचना है और भावी पीढ़ी के लिए भी सोचना है। समस्याएं हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि हम साथ मिलकर काम करेंगे, आत्म-विश्वास से काम करेंगे, तो हम स्थितियों को भी बदलेंगे और इच्छित परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे, यह मेरा पक्का विश्वास है।

आदरणीय सभापति जी, सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गईं, वे आंदोलन के संबंध में बताई गईं। किस बात को लेकर आंदोलन है, उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गईं।

उनका भी महत्व है, लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। ..**(व्यवधान)**..वैसे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ सवाल भी पूछे हैं, उन सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे, मुझे खुशी है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय की इस सदन में चर्चा की है।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय देवेगौड़ा जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस पूरी चर्चा को एक गांभीर्य दिया है। उन्होंने सरकार के जो अच्छे प्रयास हैं, उनकी सराहना की, क्योंकि वे जीवन-भर किसानों के लिए समर्पित रहे हैं । उन्होंने इस सरकार के प्रयासों की सराहना भी की और अच्छे सुझाव भी दिए। मैं आदरणीय देवेगौड़ा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

आदरणीय सभापति जी, खेती की मूलभूत समस्या क्या है? उसकी जड़ें कहाँ हैं? मैं आज पूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने विस्तार से जो बताया था, उसी का ज़िक्र करना चाहता हूं। बहुत लोग हैं, जो चौधरी साहब की विरासत संभालने का गर्व करते हैं, वे जरूर इस बात को समझने का शायद प्रयास करेंगे। 1970-71 का जो एग्रिकल्चर सेंसस हुआ था, उसका ज़िक्र उनके भाषण में हमेशा आता था और वे उसका उल्लेख करते थे। चौधरी चरण सिंह जी ने क्या कहा था? उनका quote है-

"किसानों का सेंसस लिया गया, तो 33 परसेंट किसान ऐसे हैं, जिनके पास जमीन 2 बीघे से कम है, 2 बीघे नहीं है, 2 बीघे तक है, 2 बीघे से कम। 18 फीसदी जो किसान कहलाते हैं, उनके पास 2 बीघे से 4 बीघे जमीन है, यानी आधा हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर। ये 51 फीसदी किसान हैं। ये चाहे कितनी मेहनत करें, अपनी थोड़ी-सी जमीन पर इनकी गुज़र ईमानदारी से उसमें हो नहीं सकती।" यह चौधरी चरण सिंह जी का quote है। छोटे किसानों की दयनीय स्थिति चौधरी चरण सिंह जी को हमेशा बहुत पीड़ा देती थी। वे हमेशा उसकी चिंता करते थे। अब हम आगे देखें, ऐसे किसान, जिनके पास एक हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है, 1971 में वे 51 परसेंट थे, आज 68 परसेंट हो चुके हैं। यानी देश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है, जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। आज हम लघु और सीमांत किसानों को मिलाएँ, तो 86 परसेंट से ज्यादा किसानों के पास दो हेक्टेयर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या देश की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमें कभी अपनी योजनाओं के केन्द्र में इन 12 करोड़ किसानों को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब चौधरी चरण सिंह जी हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। हमें इस जवाब को ढूँढ़ना होगा। हमें चौधरी चरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए भी इस काम के लिए, जिसको जो सूझे, जिसको मौका मिले, सबको प्रयास करना होगा, तब जाकर हम यह काम कर सकते हैं।

अब पहले की सरकारों की सोच में छोटा किसान क्या था? अगर एक बार हम थोड़ा सोचेंगे, तो ध्यान आएगा, मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सचमुच में हम सबको सोचने की आवश्यकता है। जब हम चुनाव आते ही कर्जमाफी का एक कार्यक्रम करते हैं, अब वह किसान का कार्यक्रम है कि वोट का कार्यक्रम है, वह तो हिन्दुस्तान में हर कोई भली-भाँति जानता है, लेकिन जब हम कर्जमाफी करते हैं, तब छोटा किसान उससे वंचित रहता है, उसके नसीब में कुछ नहीं आता है, क्योंकि कर्जमाफी, जो बैंक से लोन लेता है, उसके लिए होती है। बेचारे छोटे किसान का बैंक में खाता ही नहीं, वह कहाँ लोन लेने जाएगा! हमने यह छोटे किसान के लिए नहीं किया है, भले ही

हमने राजनीति कर ली हो। एक-दो एकड़ जमीन वाला किसान, जिसके पास बैंक का खाता भी नहीं है, न वह कर्ज लेता है, न उसको कर्जमाफी का फायदा मिलता है।

उसी प्रकार से पहले की 'फसल बीमा योजना' क्या थी? एक प्रकार से वह बीमा, जो बैंक गारंटी के रूप में काम करता था, वह भी छोटे किसान के लिए तो नसीब ही नहीं होता था। वह भी उन्हीं किसानों के लिए होता था, जो बैंक से लोन लेते थे और उनका इंश्योरेंस होता था, तो बैंक वालों को भी एक विश्वास हो जाता था और काम चल जाता था। आज दो हेक्टेयर से कम वाले कितने किसान होंगे, जो बैंक से लोन लेते हैं? सिंचाई की सुविधा देखिए, सिंचाई की सुविधा भी छोटे किसान के नसीब नहीं हुई। बड़े किसान तो बड़े-बड़े पंप लगा देते थे, ट्यूबवेल लगा देते थे, बिजली भी ले लेते थे और बिजली भी मुफ्त मिल जाती थी, उनका काम चल जाता था। छोटे किसान के लिए तो सिंचाई के लिए भी दिक्कत थी। वह तो कभी ट्यूबवेल लगा ही नहीं सकता था, कभी-कभी तो उसको बड़े किसान से पानी खरीदना पड़ता था और वह जो दाम माँगे, वह दाम देना पड़ता था। यूरिया देखिए, बड़े किसानों को यूरिया प्राप्त करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन छोटे किसान को रात-रात भर लाइन में खड़े रहना पड़ता था, उस पर डंडे चलते थे और कभी-कभी तो बेचारा यूरिया के बिना घर वापस लौट जाता था। हम इन छोटे किसानों का हाल जानते हैं। 2014 के बाद हमने कुछ परिवर्तन किए। हमने 'फसल बीमा योजना' का दायरा बढ़ा दिया, ताकि छोटा किसान भी उसका फायदा ले सके। हमने बहुत मामूली रकम से यह काम शुरू किया। पिछले 4-5 साल में 'फसल बीमा योजना' के तहत 90 हजार करोड़ रुपए, यह छोटी रकम नहीं है, 90 हजार करोड़ रुपए के क्लेम्स किसानों को मिले हैं! यह आँकड़ा कर्जमाफी से भी बड़ा हो जाता है।

फिर किसान क्रेडिट कार्ड देखिए। हमारे यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड हुए, लेकिन वे बड़े किसानों तक गए। उनको बैंक से बहुत ही कम ब्याज पर, कुछ राज्यों में ज़ीरो परसेंट ब्याज पर पैसे मिल जाते थे और उनका कोई न कोई उद्योग-धंधा, व्यापार होता था, वे पैसे वहाँ भी लग जाते थे। छोटे किसान के नसीब में यह नहीं था। हमने तय किया कि हम हिन्दुस्तान के हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देंगे। इतना ही नहीं, इसका दायरा हमने फिशरमेन तक भी बढ़ा दिया है, ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें। पौने-दो करोड़ से ज्यादा किसानों तक 'किसान क्रेडिट कार्ड' का फायदा पहुंच चुका है। बाकी राज्यों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि वे इस कार्य को लगातार आगे बढ़ाते रहें, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें। इसमें राज्यों की जितनी ज्यादा मदद मिलेगी, उतना ही ज्यादा काम हो सकेगा। इसी प्रकार हम एक योजना लाए - 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना'। इसके माध्यम से रकम सीधे किसानों के खाते में जाती है। ये सब ऐसे गरीब किसान हैं, जिनके पास पहले कभी इस प्रकार की मदद पहुंची ही नहीं थी। आज 10 करोड़ परिवार ऐसे हैं, जिनको इसका लाभ मिल चुका है। अगर पश्चिमी बंगाल में राजनीति आड़े न आती और वहां के किसान भी इससे जुड़ गए होते, तो यह आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा होता। अब तक इन किसानों के खाते में 1,15,000 करोड़ रुपया जा चुका है। जिनके पास यह रुपया पहुंचा है, वे सब गरीब और छोटे किसान हैं। हमारी सब योजनाओं के केन्द्र बिन्दु में इसी स्तर के लोग आते हैं।

सभापति महोदय, हमने 100% सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कही है, ताकि हमारा छोटा किसान भी यह पता लगा सके कि उसकी जमीन कैसी है और वह कैसी उपज के लिए योग्य होगी। हमने 100% सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए काम किया है। इसी प्रकार से हमने यूरिया की नीम कोटिंग

को 100% किया है। इसके पीछे हमारा इरादा यही था कि गरीब से गरीब किसान तक भी यूरिया पहुंचने में रुकावट न हो। हम अपने इस उद्देश्य में सफल हुए हैं, क्योंकि यूरिया डायवर्ट होता था।

छोटे और सीमान्त किसानों के लिए पहली बार हम पेंशन सुविधा देने की योजना लेकर आए हैं। मैं देख रहा हूं कि अब धीरे-धीरे हमारे छोटे किसान आगे आ रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' है। इस योजना के माध्यम से सिर्फ रोड ही नहीं बनाई जाती, यह गांव के किसानों की जिन्दगी बदलने की एक बहुत बड़ी यश रेखा है, इसलिए हमने इस पर भी बल दिया है।

हमने पहली बार किसान रेल की कल्पना की। छोटे किसान का माल बिकता नहीं था, लेकिन आज किसान रेल के कारण गांव का किसान मुम्बई के बाज़ार में अपना माल बेचने लगा है, फल-सब्जी बेचने लगा है और लाभ कमा रहा है। किसान रेल से छोटे किसानों को फायदा हो रहा है। 'पीएम कृषि उड़ान योजना' के द्वारा उनका सामान हवाई जहाज़ से दूसरी जगह पहुंच सकता है, जैसे हम नॉर्थ-ईस्ट का उदाहरण लें। नॉर्थ-ईस्ट में इतनी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें उत्पादित होती हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अभाव में वहां का किसान इनका बेनिफिट नहीं ले पाता था। आज उनको भी 'पीएम कृषि उड़ान योजना' का लाभ मिल रहा है।

छोटे किसानों की परेशानियों से हर कोई परिचित है। उनके सशक्तिकरण की मांग भी समय-समय पर उठती रही है। हमारे आदरणीय शरद पवार जी, कांग्रेस के कई नेता और हर सरकार कृषि सुधारों की वकालत करती रही है। इसमें कोई पीछे नहीं है। हरेक को लगता है कि हमको यह करना चाहिए, कर पाए हों या न कर पाए हों, यह अलग बात है, लेकिन यह होना चाहिए, यह बात हरेक के मुंह से निकली है। आज ही नहीं, पहले भी जब भी जहां जो लोग थे, उन सबने यह बात कही है। अभी माननीय शरद पवार जी ने तो एक बयान भी दिया था कि मैं कृषि में सुधारों के पक्ष में हूं। ठीक है, पद्धति के सम्बन्ध में उनके मन में सवाल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने सुधारों का विरोध नहीं किया है। मैं समझता हूं कि इस विषय में हमारे साथी श्रीमान् सिंधिया जी ने इस कानून को लेकर बहुत ही अच्छे ढंग से इसके कई पहलुओं पर अपने विचार यहां रखे थे। ये सारी बातें पिछले दो दशक से लगातार चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे आने के बाद ही चली हैं। हरेक ने इन सुधारों के बारे कहा है और हरेक को यह लगा कि अब समय आ गया है, अब यह हो जाएगा। यह ठीक है कि कोई कौमा या फुलस्टॉप इधर-उधर हो सकते हैं, लेकिन कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि हमारे समय की सोच ही बहुत बढ़िया थी। मैं भी यह दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारे समय की ही सोच बढ़िया है और दस साल बाद भी कोई नई सोच नहीं आ सकती है। ऐसा नहीं होता है। यह समाज और हमारा जीवन परिवर्तनशील है। आज के समय हमें जो ठीक लगा, तो चलो चलें, इसे पूरा करें, आगे फिर सुधार करेंगे और नई चीज़ों को इससे जोड़ेंगे। यही तो प्रगति का रास्ता होता है। रुकावटें डालने से प्रगति कहां होती है?

लेकिन मैं हैरान हूं, कुछ लोगों ने अचानक यू-टर्न ले लिया। ऐसा क्यों किया? ठीक है, आन्दोलन के मुद्दों को लेकर आप इस सरकार को घेर लेते, लेकिन साथ-साथ किसानों से भी तो कहते कि भाई, बदलाव बहुत जरूरी है, अब बहुत साल हो गए, इसलिए अब नई चीज़ों को लेना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि कभी-कभी राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार पीछे छूट जाते हैं। ठीक है, जो ये सब काम कर रहे हैं, अच्छा है।

आदरणीय डा. मनमोहन सिंह जी यहां पर मौजूद हैं। आज यहां पर मैं उन्हीं का एक quote पढ़ना चाहता हूं। हो सकता है कि जो यू टर्न कर रहे हैं, वे मेरी बात मानें या न मानें, मनमोहन सिंह

जी की बात जरूर मानेंगे। "There are other rigidities because of the whole marketing regime set up in the 1930s which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return. It is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realising its vast potential as one large common market."

यह आदरणीय मनमोहन सिंह जी का quote है। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आज़ादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाज़ार दिलाने के सम्बन्ध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वह काम हम कर रहे हैं। आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिये, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, वह मोदी को करना पड़ रहा है, आप गर्व कीजिए।..**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेन्द्र मोदी : मज़ा यह है कि जो लोग उछल-उछल करके पोलिटिकल बयानबाज़ी करते हैं, उनके राज्यों में भी जब उनको मौका मिला है, हर किसी ने इसी में से आधा-अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है। यहां जो दल विरोध में हैं, उनकी भी जहां सरकारें हैं, वहां आधा-अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि रास्ता तो यही है और मैंने देखा है कि इस चर्चा में लॉ की जो स्पिरिट है, उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत यह है कि तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, यह रहता है - वह तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज़ होकर कहती है कि मुझे कहां बुलाया - वह तो रहता है, इतना बड़ा परिवार है तो रहता ही है।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

हम कुछ और बातों की ओर भी ध्यान दें। अब देखिये, दूध उत्पादन किसी बंधनों में बंधा हुआ नहीं है, न पशुपालक बंधनों में बंधा हुआ है, न दूध बंधनों में बंधा हुआ है, लेकिन मज़ा देखिये। दूध के क्षेत्र में या तो प्राइवेट या कोऑपरेटिव, दोनों ने एक ऐसी बड़ी मज़बूत चेन बनाई है, दोनों मिल करके इस काम को कर रहे हैं और एक बेहतरीन सप्लाई चेन हमारे देश में बनी है और यह मेरे काल में नहीं बनी है। आप भी इसका गर्व कर सकते हैं। मेरे काल से पहले बनी हुई है, हमें गर्व करना चाहिए। फल-सब्जी से जुड़े विषय में ज्यादातर बाजारों का सीधा सम्पर्क रहता है, बाज़ारों का दख़ल हट गया है। इसका लाभ मिल रहा है। क्या डेयरी वाले, फल-सब्जी खरीदने वाले उद्यमी, पशुपालकों या किसानों की जमीन पर कब्ज़ा हो जाता है, क्या उनके पशु पर कब्ज़ा हो जाता है? नहीं होता है। दूध बिकता है, पशु नहीं बिकता है। हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 28 प्रतिशत से भी ज्यादा है। यानी हम इतना बड़े एग्रीकल्चर की चर्चाएं करते हैं और इस पहलू को हम भूल जाते हैं, 28 परसेन्ट कंट्रीब्यूशन है और करीब-करीब आठ लाख करोड़ रुपयों का कारोबार है। जितने रुपये का दूध होता है, उसका मूल्य, अनाज और दाल दोनों मिला लें तो उससे ज्यादा है। हम कभी इस तरफ देखते ही नहीं हैं। पशुपालकों को पूरी आज़ादी, अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमान्त किसानों को, जैसे पशुपालक को आजादी मिली है, इनको आजादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अब इन सवालों के जवाब हम ढूंढ़ेंगे तो हम सही रास्ते पर चलेंगे।

आदरणीय उपसभापति जी, यह बात सही है, जैसा हम लोगों का स्वभाव रहा है कि घर में भी, यदि थोड़ा सा भी परिवर्तन करना हो तो घर में भी तनाव हो जाता है, चेयर यहां क्यों रखी, टेबल यहां क्यों रखी, ऐसा घर में भी होता है। ऐसा घर में भी होता है। इतना बड़ा देश है और जिस प्रकार की परम्पराओं में हम पले-बढ़े हैं, तो मैं यह स्वाभाविक मानता हूँ। जब भी कोई नयी चीज़ आती है, तो हमारे यहाँ थोड़ा-बहुत भय रहता ही है, असमंजस की स्थिति भी रहती है। लेकिन ज़रा वह दिन याद कीजिए जब हरित क्रांति की बातें होती थीं। हरित क्रांति के समय जो कृषि सुधार हुए, तब भी जो आशंकाएँ हुईं, जो आन्दोलन हुए, यह well documented है और यह देखने जैसा है। कृषि सुधार के लिए सख्त फैसले लेने के उस दौर में शास्त्री जी का हाल यह था कि अपने साथियों में से कोई कृषि मंत्री बनने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि लगता था कि यह ऐसा है कि हाथ जल जायेंगे और किसान नाराज़ हो जायेंगे, तो मेरी तो राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये शास्त्री जी के समय की घटनाएँ हैं। अन्त में शास्त्री जी को सी. सुब्रमण्यम जी को कृषि मंत्री बनाना पड़ा था और उन्होंने reforms की बातें कीं। योजना आयोग ने भी उसका विरोध किया था। मज़ा देखिए कि योजना आयोग ने भी विरोध किया था। वित्त मंत्रालय सहित पूरी कैबिनेट के अन्दर भी विरोध का स्वर उठा था, लेकिन देश की भलाई के लिए शास्त्री जी आगे बढ़े। लेफ्ट पार्टी जो आज भाषा बोलती है, वही उस समय भी बोलती थी। वह यही कहती थी कि अमेरिका के इशारे पर शास्त्री जी यह कह रहे हैं, अमेरिका के इशारे पर कांग्रेस यह कर रही है। सारी चीज़ें, जितनी आज मेरे खाते में जमा हैं, वे पहले आपके यहाँ के अकाउंट में थीं। **...(व्यवधान)...** कांग्रेस के नेताओं को अमेरिका का एजेंट कह दिया जाता था।

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

यह सब कुछ, लेफ्ट वाले आज जो भाषा बोलते हैं, उस समय भी उन्होंने यही भाषा बोली थी। कृषि सुधारों को छोटे किसानों को बरबाद करने वाला बताया गया था। देश भर में हजारों प्रदर्शन आयोजित हुए थे, बड़ा मूवमेंट चला था। इसी माहौल में भी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और उनके बाद की सरकार जो करती रही, उसी का परिणाम है कि जो कभी हम PL 480 मँगवाकर खाते थे, आज देश अपने किसानों के द्वारा अपनी मिट्टी से पैदा की हुई चीज़ें खाता है। **...(व्यवधान)...**

रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद भी हमारे कृषि क्षेत्र में समस्याएँ हैं। कोई इससे तो मना नहीं कर सकता कि समस्याएँ नहीं हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान हम सब को मिल कर करना होगा और मैं मानता हूँ कि अब समय ज्यादा इंतज़ार नहीं करेगा। हमारे राम गोपाल जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना लॉकडाउन में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। सरकार ने भी बीज, खाद, सारी चीज़ें कोरोना काल में भी पहुँचाने में कोई कमी नहीं होने दी, कोई संकट नहीं आने दिया और उसका सामूहिक परिणाम मिला कि देश के पास यह भंडार भरा रहा, उपज की रिकॉर्ड खरीदी भी इस कोरोना काल में ही हुई है। तो मैं समझता हूँ कि हमें नये-नये उपाय खोज-खोज कर आगे बढ़ना होगा और जैसा मैंने कहा कि कोई भी - कई कानून हैं, हर कानून में दो साल, पाँच साल के बाद, तो कभी दो महीने, तीन महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। हम कोई static अवस्था में जीने वाले लोग थोड़े ही हैं। जब अच्छे सुझाव आते हैं, तो अच्छे सुधार भी आते हैं और सरकार भी अच्छे सुझावों को स्वीकार करती है। सिर्फ हमारी सरकार ही नहीं, हर सरकार ने

अच्छे सुझावों को स्वीकार किया, यही तो लोकतंत्र की परम्परा है। इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सब को आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सब को निमंत्रण देता हूँ कि आइए, देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए, आन्दोलनकारियों को समझाते हुए हमें देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल, जो भी यहाँ होगा, किसी न किसी को यह काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियाँ मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इसे अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो तो मेरे खाते में और अच्छा हो तो आपके खाते में। आओ, मिल करके चलें। ...**(व्यवधान)**...

हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक-दूसरे की बातों को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है। हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकर से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठें, यह ठीक नहीं है, इसलिए आप उन सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल-बैठ कर चर्चा करेंगे, रास्ते खुले हैं - यह सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन के माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ।

आदरणीय सभापति जी, यह बात निश्चित है कि हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का यह समय है। हमें इस समय को गँवा नहीं देना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हों, इन सुधारों को हमें मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है या नहीं होता है। कोई कमी हो, तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है, तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मंडियाँ अधिक आधुनिक बनेंगी, अधिक प्रतिस्पर्धी होंगी। हमने इस बार बजट में भी उसके लिए प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। हम इस सदन की पवित्रता समझें। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वह भी continue रहेगा, इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़ें, क्योंकि देश ने हमको एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है।

किसानों की आय बढ़ाने के जो दूसरे उपाय हैं, उन पर भी हमें बल देने की जरूरत है। आबादी बढ़ रही है, परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, जमीन के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ न कुछ ऐसा करना ही होगा, ताकि किसानी पर बोझ कम हो और हमारे किसान के परिवार के लोग भी रोज़ी-रोटी कमा सकें, इसके लिए हम किसानों के लिए और अवसर उपलब्ध करा सकें। इनकी तकलीफों को दूर करने के लिए हमें काम करना होगा और मैं मानता हूँ कि अगर हम देर कर देंगे, अपने ही राजनीतिक समीकरणों में फँसे रहेंगे, तो हम किसानों को अंधकार की तरफ धकेल देंगे। कृपा करके हमें किसानों के उज्ज्वल भविष्य के लिए इससे बचना चाहिए। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि हमें इस बात की चिंता करनी होगी।

आदरणीय सभापति जी, हमें डेयरी और पशुपालन को हमारे कृषि क्षेत्र के साथ बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि हमारा किसान पगभर हो। उसी प्रकार, हमने इसी काम के लिए foot and mouth disease के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है, ताकि किसान या पशुपालक, जो by and large किसानी से जुड़ा हुआ रहता है, उसको भी लाभ हो। हमने फिशरीज़ पर भी बल दिया और इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाई और 20,000 करोड़ रुपए 'पीएम मत्स्य संपदा योजना' के लिए लगाये हैं, ताकि इस पूरे क्षेत्र को एक नया बल मिले। भारत में sweet revolution की बहुत संभावनाएँ हैं। इसके

लिए बहुत जमीन की जरूरत नहीं है। अगर किसान अपने ही खेत के एक कोने में यह कर दे, तो भी वह एक साल में 40 हज़ार, 50 हज़ार, एक लाख या दो लाख रुपए कमा लेगा, इसलिए हमने शहद के लिए sweet revolution का माहौल बनाया। उसी प्रकार से bee wax का है। दुनिया में bee wax की माँग है। भारत bee wax एक्सपोर्ट कर सकता है। हमने उसके लिए माहौल बनाया। अगर कोई छोटा किसान होगा, तो वह अपने ही खेत के एक कोने में इसको करके एक नई कमाई कर सकता है। हमें इसको जोड़ना होगा, क्योंकि मधुमक्खी पालन के लिए कोई सैकड़ों एकड़ जमीन की जरूरत नहीं है, बल्कि किसान आराम से अपने खेत में कर सकता है।

सोलर पम्प - हम कहते हैं कि अन्नदाता ऊर्जादाता बने। वह अपने खेत में ही अपने सोलर सिस्टम से ऊर्जा पैदा करे, सोलर पम्प चलाए, अपनी पानी की आवश्यकता को पूरी करे। इस प्रकार से वह अपने इस खर्च के बोझ को कम करे और अगर वह एक फसल लेता है, तो दो फसल ले, अगर दो फसल लेता है, तो तीन फसल ले। अगर crop pattern में बदलाव करना है, तो उसमें बदलाव करे, उस दिशा में हम जा सकते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, एक और बात है। भारत की ताकत ऐसी समस्याओं के समाधान करने और नए रास्ते खोजने की रही है और आगे भी खोजेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जो भारत अस्थिर रहे, अशांत रहे, इसके लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। हमें इन लोगों को जानना होगा। हम यह न भूलें कि पंजाब के साथ क्या हुआ। जब बंटवारा हुआ, तब सबसे ज्यादा पंजाब को भुगतना पड़ा। जब 1984 के दंगे हुए, तब सबसे ज्यादा आंसू पंजाब में बहे, पंजाब को सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं का शिकार होना पड़ा। जो जम्मू-कश्मीर में हुआ, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया, जो नॉर्थ-ईस्ट में होता रहा, आए-दिन बम, बंदूक और गोलियों का कारोबार चलता रहा। इन सारी बातों ने किसी न किसी रूप में देश का बहुत नुकसान किया है। इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, इसे हर समय सभी सरकारों ने देखा है, जाना है, परखा है, इसलिए हम उस जज़्बे से इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए तेजी से आगे बढ़ें और हम यह न भूलें कि कुछ लोग, खासकर हमारे पंजाब के, खासकर सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीज़ें भरने में लगे हैं। यह देश हर सिख के लिए गर्व करता है। इन्होंने देश के लिए क्या-कुछ नहीं किया। हम इनका जितना आदर करें, उतना कम है। गुरुओं की महान परंपराओं को -- मेरा भाग्य रहा है कि मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैंने जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। कुछ लोग उनके लिए जो भाषा बोलते हैं, उनको गुमराह करने का प्रयास करते हैं, इससे देश का कभी भला नहीं होगा, इसलिए हमें इस दिशा में चिंता करने की आवश्यकता है।

आदरणीय सभापति महोदय, हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं - श्रमजीवी, बुद्धिजीवी - इन सभी शब्दों से परिचित हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वह है आंदोलनजीवी। आप देखेंगे कि चाहे वकीलों का आंदोलन है, वे वहाँ नज़र आएंगे, स्टूडेंट्स का आंदोलन है, वे वहाँ नज़र आएंगे, मजदूरों का आंदोलन है, वे वहाँ नज़र आएंगे - कभी परदे के पीछे, तो कभी परदे के आगे - एक पूरी टोली है, जो आंदोलजनजीवी है। वे आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन के साथ जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा, जो सब जगह पहुंचकर बड़ा ideological stand दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए-नए तरीके बता देते हैं। देश को आंदोलनजीवी लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि यही उनकी ताकत है। उनका तरीका यह है कि वे खुद तो चीज़ों को खड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे का कुछ चल रहा हो, तो वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। जितने दिन

आंदोलन चले, वहाँ उनका काम चल जाता है। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी, परजीवी होते हैं और यहाँ पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए भी होगा, क्योंकि आप जहाँ-जहाँ सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी, आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से, मैं एक नई चीज़ देख रहा हूँ। देश प्रगति कर रहा है, हम Foreign Direct Investment (FDI) की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों एक नया FDI मैदान में आया है। इस नए FDI से देश को बचाना ही है। हमें Foreign Direct Investment (FDI) चाहिए, लेकिन यह जो नया FDI नज़र आ रहा है, इस नए FDI से जरूर बचना होगा और यह नया FDI, Foreign Destructive Ideology है, इसलिए इस FDI से देश को बचाने के लिए हमें और जागरूक रहने की जरूरत है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश के विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अपना एक मूल्य है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे 'आत्मनिर्भर भारत' का एक अहम स्तम्भ है। 'आत्मनिर्भर भारत', यह किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए, यह 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प होना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए और इस पर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने हमें यही रास्ता दिखाया था। अगर हम वहाँ से थोड़े हट गए हैं, तो वापस उस पटरी पर आने की जरूरत है और 'आत्मनिर्भर भारत' के रास्ते पर हमको बढ़ना ही होगा। अगर हमें गाँव और शहर की खाई को पाटना है, तो उसके लिए भी हमें 'आत्मनिर्भर भारत' की ओर बढ़ना ही होगा। मुझे विश्वास है कि जब हम उन बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे देश के सामान्य मानवी का विश्वास बढ़ेगा। जैसे, अभी प्रश्नोत्तर काल के अंदर 'जल-जीवन मिशन' की चर्चा हो रही थी कि इतने कम समय में तीन करोड़ परिवारों तक पीने का पानी पहुँचाने का, उनके घर में नल का कनेक्शन देने का काम हो चुका है। आत्मनिर्भरता तभी संभव है, जब अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी हो।

हमारी सोनल बहन ने अपने भाषण को बहनों और बेटियों की भागीदारी पर फोकस कर, उस पर विस्तार से चर्चा की। कोरोना काल में, चाहे राशन हो, आर्थिक मदद हो या मुफ्त गैस सिलेण्डर हो, एक प्रकार से सरकार ने हर तरह से हमारी माताओं और बहनों को असुविधा न हो, इसकी पूरी चिन्ता करने का प्रयास किया है और उन्होंने एक शक्ति बनकर इन चीज़ों को सम्भालने में मदद भी की है। जिस तरह इस मुश्किल परिस्थिति में हमारे देश की नारी-शक्ति ने बड़े धैर्य के साथ परिवार को सम्भाला, परिस्थितियों को सम्भाला है, कोरोना की इस लड़ाई में हर परिवार की मातृ-शक्ति की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है और उनका मैं जितना धन्यवाद करूँ, उतना कम है। बहनों और बेटियों का यह हौसला देखकर मैं समझता हूँ कि 'आत्मनिर्भर भारत' में हमारी माताएँ एवं बहनें अहम भूमिका निभाएँगी, मुझे यह पूरा विश्वास है। आज युद्ध-क्षेत्र में भी हमारी बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है। जो नए लेबर कोड्स बने हैं, उनमें भी बेटियों के लिए हर सेक्टर में काम करने के लिए समान वेतन का हक दिया गया है। 'मुद्रा योजना' से जो 70 प्रतिशत लोन लिया गया है, वह हमारी बहनों के द्वारा लिया गया है, यानी एक प्रकार से यह addition है। करीब सात करोड़ महिलाओं की सहभागिता से 60 लाख से ज्यादा Self help groups आज 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रयासों को एक नई ताकत दे रहे हैं।

भारत की युवा-शक्ति पर हम जितना जोर लगाएँगे, उनको हम जितने अवसर देंगे, मैं समझता हूँ कि वे उतने हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनेंगे। जो राष्ट्रीय

एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी में भी हमारी युवा-पीढ़ी को नए अवसर देने का प्रयास हुआ है। मुझे खुशी है कि एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा में एक लम्बा समय लगा, लेकिन देश में जिस प्रकार से उसकी स्वीकृति हुई है, उसने एक नया विश्वास पैदा किया है और मुझे विश्वास है कि यह नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश के लिए एक नये तरीके से पढ़ने का, एक नये तरीके के विचार का आगमन है।

हमारे MSME सेक्टर को रोज़गार के सबसे ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। कोरोना काल में जो stimulus की बात हुई, उसमें भी MSMEs पर पूरा ध्यान दिया गया और उसी का परिणाम है कि आर्थिक रिकवरी में आज हमारे MSMEs बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं।

हम लोग प्रारम्भ से 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का मंत्र लेकर चल रहे हैं। उसी का परिणाम है कि चाहे नॉर्थ-ईस्ट हो या नक्सल प्रभावित क्षेत्र हों, वहाँ धीरे-धीरे हमारी समस्याएँ कम होती जा रही हैं और समस्याएँ कम होने के कारण, सुख और शान्ति के अवसर पैदा होने के कारण विकास की मुख्य धारा में हमारे सभी साथियों को आने का अवसर मिल रहा है। भारत के उज्ज्वल भविष्य में ईस्टर्न इंडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, मैं यह साफ देख रहा हूं और हम पूरी मज़बूती से काम करेंगे। मैं आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद जी को सुन रहा था, मृदुता, सौम्यता और कभी भी कटु शब्दों का उपयोग न करना, यह उनकी विशेषता रही है। मैं मानता हूं कि हम सभी सांसदगणों को उनसे यह सीखना चाहिए, इसलिए मैं उनका आदर भी करता हूं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में होने वाले चुनावों की तारीफ की। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे दिल में जम्मू-कश्मीर विशेष है और उनके दिल में यह होना स्वाभाविक भी है। पूरे हिन्दुस्तान के दिल में जम्मू-कश्मीर उसी भाव से भरा पड़ा है। जम्मू-कश्मीर आत्मनिर्भर बनेगा, उस दिशा में वहां पंचायत के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए और इन सबकी सराहना गुलाम नबी जी ने की है, इस प्रशंसा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन मुझे डर लगता है- आपने प्रशंसा की। मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी वाले इसको उचित स्पिरिट में लेंगे। गलती से जी-23 की राय मानकर उलटा न कर दें।

सभापति महोदय, कोरोना के चुनौतीपूर्ण दौर में सीमा पर भी चुनौती देने की कोशिश हुई। हमारे वीर जवानों के हौसले और उनकी कुशलता ने सटीक जवाब दिया है। हर हिन्दुस्तानी को इस बात पर गर्व होना चाहिए। मुश्किल परिस्थितियों में भी हमारे जवान डटकर खड़े रहे। हमारे तमाम साथियों ने भी हमारे जवानों के शौर्य की सराहना की है, मैं उनका आभारी हूं। एलएसी पर जो स्थिति बनी है, उस पर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है और देश उसको भली-भांति देख रहा है और गर्व भी कर रहा है। बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर हमारी प्रतिबद्धता में किसी प्रकार की ढील आने का सवाल नहीं होता, गुंजाइश ही नहीं है और जो लोग हमारा लालन-पालन और हमारे विचारों को, हमारा उद्देश्य देखते हैं, वे कभी भी इस विषय पर हमसे सवाल ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम इस विषय पर डटे रहने वाले लोग हैं। इसलिए हम इन विषयों में कहीं पर भी पीछे नहीं हैं। आदरणीय सभापति जी, इस सदन की उत्तम चर्चा के लिए मैं सबका धन्यवाद करते हुए आखिर में एक मंत्र का उल्लेख करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे यहां वेदों में एक महान विचार प्राप्त होता है, वह हम सबके लिए, 130 करोड़ देशवासियों के लिए है। यह मंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। वेदों का यह मंत्र कहता है।

"अयुतो अहं अयुतो मे आत्मा अयुतं मे चक्षुः अयुतं श्रोत्रम् ।"

अर्थात् मैं एक नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। मैं अपने साथ करोड़ों मानवों को देखता हूं, अनुभव करता हूं। इसलिए मेरी आत्मिक शक्ति करोड़ों की है, मेरे साथ करोड़ों की दृष्टि है, मेरे साथ करोड़ों की श्रवण शक्ति और कर्म शक्ति भी है।

आदरणीय सभापति जी, वेदों की इसी भावना से, इसी चेतना से 130 करोड़ से अधिक देशवासियों वाला भारत सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। आज 130 करोड़ देशवासियों के सपने हिन्दुस्तान के सपने हैं। आज 130 करोड़ से अधिक देशवासियों की आकांक्षाएं, इस देश की आकांक्षाएं हैं। आज 130 करोड़ देशवासियों का भविष्य भारत के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है, इसलिए आज जब देश नीतियां बना रहा है, प्रयास कर रहा है, तो यह केवल तत्कालीन हानि-लाभ के लिए नहीं है। जब देश 2047 में एक लम्बे और दूरगामी समय में आज़ादी का शतक मनाएगा, यह देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के सपनों की नींव रखी जा रही है। मुझे विश्वास है कि इस काम को पूरा करने में हम अवश्य सफल होंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन के लिए, उनका आदरपूर्वक धन्यवाद करते हुए अभिनंदन करता हूं। सदन में जिस तरह से चर्चा हुई है, मैं सच बताता हूं कि चर्चा का स्तर भी अच्छा था और वातावरण भी अच्छा था। यह ठीक है कि इससे कितने लाभ होते हैं-मुझ पर भी कितना हमला हुआ है, हर प्रकार से जो भी कहा जा सकता था, कहा गया, लेकिन मुझे बहुत आनन्द मिला कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। देखिए, एक तो कोरोना के कारण आपका ज्यादा आना-जाना नहीं होता होगा, आप फंसे रहते होंगे और घर में भी किच-किच होती रहती होगी, तो आपने यहां इतना गुस्सा निकाल दिया, तो आपका मन कितना हल्का हो गया होगा। आप घर के अंदर कितनी खुशी व चैन से समय बिताते होंगे, तो आपको जो यह आनन्द मिला है, इसके लिए मैं काम आया, मैं इसको भी अपना सौभाग्य मानता हूं। मैं चाहूंगा कि आप यह आनन्द लगातार लेते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाकर रखिए, मोदी है, मौका लीजिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद, प्रधान मंत्री जी। I shall now put the Amendments which have been moved to vote. Now, Amendments (Nos. 11 to 18) by Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, we requested the Prime Minister to have a concern on its citizens who have been protesting for two-and-a-half months.

MR. CHAIRMAN: Are you withdrawing or should I put them to vote? ...*(Interruptions)*... No speeches allowed now. ...*(Interruptions)*... You know that. Are you withdrawing the Amendments or should I put them to vote?

SHRI TIRUCHI SIVA: I am pressing my Amendments but, Sir ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: That you have got every right. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, we expected the Prime Minister to give an assurance.

MR. CHAIRMAN: Are you withdrawing the Amendments or should I put them to vote?

SHRI TIRUCHI SIVA: If the Prime Minister gives an assurance, we will not press our Amendments.

MR. CHAIRMAN: He has spoken at length and covered various aspects. Now, it is up to you. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I am pressing my Amendments.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 11 to 18) by Shri Tiruchi Siva to vote.

The Amendments (Nos. 11 to 18) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 19 to 27) by Shri M. Shanmugam. Shri M. Shanmugam, are you withdrawing or pressing your Amendments?

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I am pressing my Amendments.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 19 to 27) by Shri M. Shanmugam to vote.

The Amendments (Nos. 19 to 27) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 28 to 32) by Shri Digvijaya Singh. Shri Digvijaya Singh...

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश) : मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूँगा...**(व्यवधान)**....

MR. CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I have to explain.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, he has to explain his Amendments.

MR. CHAIRMAN: No. That has not been the practice. ...*(Interruptions)*... We all know that. ...*(Interruptions)*...

श्री दिग्विजय सिंह: समस्या का निदान सबको मिलकर करना चाहिए। ...**(व्यवधान)**.... उसका पालन करिए। ...**(व्यवधान)**....

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 28 to 32) by Shri Digvijaya Singh to vote.

The Amendments (Nos. 28 to 32) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 33 to 41) by Shri M.V. Shreyams Kumar. Are you withdrawing or pressing your Amendments?

SHRI M. V. SHREYAMS KUMAR (Kerala): Sir, I am pressing my Amendments.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 33 to 41) by Shri M.V. Shreyams Kumar to vote.

The Amendments (Nos. 33 to 41) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 42 to 51) by Shri K.C. Venugopal. Shri Venugopal, are you withdrawing or pressing?

SHRI K.C. VENUGOPAL (Rajasthan): Sir, I want to speak...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You have moved them that day. ...*(Interruptions)*... You have already moved them. That is why, they are on record. ...*(Interruptions)*... So, the Amendments are moved. I shall now put the Amendments (Nos. 42 to 51) to vote.

The Amendments (Nos.42 to 51) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 75 to 77) by Shri Deepender Singh Hooda. Deepender Singh*ji*, are you pressing the Amendments or withdrawing?

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (हरियाणा): सर, किसान विरोधी तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। मैंने यह अमेंडमेंट दिया है और ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : भाषण नहीं जाएगा। I shall now put the Amendments (Nos. 75 to 77) to vote.

The Amendments (Nos.75 to 77) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 78, 79, 82 to 89) by Shri Vishambhar Prasad Nishad. Are you withdrawing the Amendments or pressing?

SHRI VISHAMBHAR PRASAD NISHAD (Uttar Pradesh): Sir, I am pressing.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 78,79, 82 to 89) to vote.

The Amendments (Nos.78, 79, 82 to 89) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 80, 81 and 90 to 93) by Shri Sukhram Singh Yadav. Sukhram Singh*ji*, are you pressing the Amendments?

SHRI SUKHRAM SINGH YADAV (Uttar Pradesh): Sir, I am pressing.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 80, 81 and 90 to 93) to vote.

The Amendments (Nos.80, 81 and 90 to 93) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Amendment (Nos. 94 to 97) by Shrimati Chhaya Verma. Chhaya Verma*ji*, are you withdrawing or pressing?

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): सर, मैं अपने अमेंडमेंट्स press करती हूं।

MR. CHAIRMAN: Amendments are not withdrawn. I shall now put the Amendments (Nos. 94 to 97) to vote.

The Amendments (Nos.94 to 97) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 98 to 107) by Shri Bikash Ranjan. Bikash Ranjan*ji*, are you withdrawing the Amendments?

SHRI BIKASH RANJAN (West Bengal): Sir, I am pressing.

MR. CHAIRMAN: Amendments not withdrawn. I shall now put the Amendments (Nos. 98 to 107) to vote.

The Amendments (Nos.98 to 107) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 108) by Shri Elamaram Kareem. Shri Elamaram Kareem, are you withdrawing the Amendment?

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, the controversial farmer's Bills are not repealed, so I press the Amendment.

MR. CHAIRMAN: Amendment not withdrawn. I shall put the Amendment (No. 108) to vote.

The Amendment (No. 108) is negatived.

MR. CHAIRMAN: Now I shall put the Motion to vote. ...*(Interruptions)*... Please, it will not go on record. ...*(Interruptions)*... It will not go on record. You all know that this has been the practice for years. Nothing new has been introduced by me. If it had been there earlier, then I would have also thought about the same. The question is:

"That an Address be presented to the President in the following terms:—

'That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on January 29, 2021.'"

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I am happy that on the first day, 26 Members and on the second day, 25 Members have spoken. ...*(Interruptions)*... I am happy that we had a meaningful, deliberate discussion. Now, the Statement regarding Ordinance. Shri Hardeep Singh Puri. ...*(Interruptions)*...

STATEMENT RAGARDING ORDINANCE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS; THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, with your permission, I rise to lay on the Table, a statement (in English and